न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 6 गाजियाबाद।

उपस्थितः मुकेश कुमार सिंह–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा।

सत्र परीक्षण संख्याः 378/2023

उत्तर प्रदेश राज्य––––––––बनाम–––––––––मुस्तकीम आदि

मु०अ०सं० 99/2023
धारा 498A,304B,307,506 भा०द०सं०
व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधि०
वैकल्पिक धारा 302 भा०द०सं०
थाना टीलामोड़, गाजियाबाद।

आरोप

मैं, मुकेश कुमार सिंह–प्रथम, अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 6 गाजियाबाद आप अभियुक्तगण **दिलशेर, युसुफ एवं सायरा** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि वादी मुकदमा की भतीजी शायरा की शादी तहरीर दिनांकित 22–02–2023 दिये जाने से 6 वर्ष पूर्व सह अभियुक्त मुस्तकीम के साथ हुयी थी, शादी के पश्चात से विभिन्न समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा की भतीजी शायरा को दहेज के लिये प्रताड़ित कर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से यातनाए दी गयी। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा 498A भा०द०सं० के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा की भतीजी शायरा को दहेज के लिये प्रताड़ित किया और दिनांक 23–02–2023 की रात्रि में सह अभियुक्त द्वारा चाकू से हमला करके उसकी मृत्यु कारित की गयी। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा 304B भा०द०सं० के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान आप लोगो ने वादी मुकदमा की भतीजी शायरा की हत्या कराने के आशय से सह अभियुक्त द्वारा उस पर चाकू से हमला इस आशय, ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में किया कि यदि ऐसे कार्य से उसकी मृत्यु कारित कर देते तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा 307 भा०द०सं० के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा की भतीजी शायरा को प्रताडित किया और अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधि० के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा की भतीजी शायरा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा 506 भा०द०सं० के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

वैकल्पिक आरोप

6– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा की भतीजी शायरा पर दिनांक 21–02–2023 को रात्रि में चाकू से हमला करके उसकी मृत्यु कारित की गयी। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा 302 भा०द०सं० के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि उक्त आरोप के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक: 27–10–2023

(मुकेश कुमार सिंह–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 6,
गाजियाबाद।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया व परीक्षण चाहा।

दिनांक: 27–10–2023

(मुकेश कुमार सिंह–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 6,
गाजियाबाद।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 6 गाजियाबाद।

उपस्थितः मुकेश कुमार सिंह–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा।

सत्र परीक्षण संख्याः 378/2023

उत्तर प्रदेश राज्य––––––––बनाम––––––––मुस्तकीम

मु०अ०सं० 99/2023
धारा 498A,304B,307,506 भा०द०सं०
व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधि०
वैकल्पिक धारा 302 भा०द०सं०
व धारा 4/25 आयुध अधिनियम
थाना टीलामोड़, गाजियाबाद।

आरोप

मैं, मुकेश कुमार सिंह–प्रथम, अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 6 गाजियाबाद आप अभियुक्त **मुस्तकीम** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि वादी मुकदमा की भतीजी शायरा की शादी तहरीर दिनांकित 22–02–2023 दिये जाने से 6 वर्ष पूर्व आपके साथ हुयी थी, शादी के पश्चात से विभिन्न समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा की भतीजी शायरा को दहेज के लिये प्रताड़ित कर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से यातनाए दी गयी। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा 498A भा०द०सं० के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा की भतीजी शायरा को दहेज के लिये प्रताड़ित किया और दिनांक 23–02–2023 की रात्रि में आपके चाकू से हमला करके उसकी मृत्यु कारित की गयी। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा 304B भा०द०सं० के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान आपने वादी मुकदमा की भतीजी शायरा की हत्या कराने के आशय से आपके द्वारा उस पर चाकू से हमला इस आशय, ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में किया कि यदि ऐसे कार्य से उसकी मृत्यु कारित कर देते तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा 307 भा०द०सं० के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा की भतीजी शायरा को प्रताडित किया और अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधि० के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा की भतीजी शायरा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा 506 भा०द०सं० के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा की भतीजी

शायरा को पर चाकू से हमला किया। उक्त चाकू आपके पास से बरामद किया गया, जिसका आपके पास कोई वैध लाईसेंस नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा 4/25 आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

<u>वैकल्पिक आरोप</u>

7– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा की भतीजी शायरा की दिनांक 21–02–2023 को रात्रि में चाकू से हमला करके उसकी मृत्यु कारित की गयी। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया जोकि धारा 302 भा०द०सं० के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि उक्त आरोप के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक: 27–10–2023

(मुकेश कुमार सिंह–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 6,
गाजियाबाद।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इंकार किया व परीक्षण चाहा।

दिनांक: 27–10–2023

(मुकेश कुमार सिंह–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 6,
गाजियाबाद।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 6 गाजियाबाद।

उपस्थितः मुकेश कुमार सिंह–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा।

सत्र परीक्षण संख्याः 378/2023

उत्तर प्रदेश राज्य––––––––बनाम––––––––मुस्तकीम

मु०अ०सं० 99/2023

धारा 498A,304B,307,506 भा०द०सं०

व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधि०

वैकल्पिक धारा 302 भा०द०सं०

व धारा 4/25 आयुध अधिनियम

थाना टीलामोड़, गाजियाबाद।

मेमोरेण्डम

अभियुक्तगण **मुस्तकीम, दिलशेर, युसुफ** कारागार से न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित हैं तथा अभियुक्त **एवं सायरा** जेरे जमानत उपस्थित है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया हैं कि अभियुक्त मुस्तकीम की शादी मृतका के साथ साधारण तरीके से हुयी थी। अभियुक्तगण ने मृतका से न तो कभी दहेज की मांग की गयी और न ही दहेज के लिये उसे प्रताडित किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में सामान्य आरोप लगाये गये है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा विरोध करते हुए कहा गया हैं कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की भतीजी/मृतका को दहेज के लिये प्रताडित किया गया और दहेज की मांग की गयी तथा मारपीट करके जान से मारने की धमकी दी गयी तथा उसकी चाकू मारकर हत्या कारित की गयी है।विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर विवेचना उपरान्त आरोपपत्र प्रेषित किया गया है।

केस डायरी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त मुस्तकीम के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498A,304B,506,307 भा०द०सं०, धारा 4/25 आयुध अधिनियम, धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधि० वैकल्पिक धारा 302 भा०द०सं० एवं अभियुक्तगण दिलशेर, युसुफ एवं सायरा के विरूद्ध धारा 498A,304B,506,307 भा०द०सं०, धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधि० एवं वैकल्पिक धारा 302 भा०द०सं० का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओ में आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया व परीक्षण चाहा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 07–11–2023 को पेश हो। साक्षीगण नियत तिथि के लिये जरिये समन तलब हो।

दिनांकः 27–10–2023

(मुकेश कुमार सिंह–प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 6,
गाजियाबाद।

Digitally signed by MUKESH KUMAR SINGH I
Date: 2023.10.27 16:45:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court